न्यायालय– उपखण्ड अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी– राजलक्ष्मी गहलोत (RAS)

राजस्व विविध मुकदमा संख्या–04/2021
तारीख निर्णय–28/06/2022

प्रार्थीगण :–

मृतक सबलसिंह पुत्र वेनसिंहजी के विधिक वारिसान एवं कायम मुकाम–

1– मगनसिंह पुत्र स्व. सबलसिंह, आयु– वयस्क,
2– घीसूसिंह पुत्र स्व. सबलसिंह, आयु– वयस्क,
3– कमलाकंवर पुत्री स्व. सबलसिंह, आयु– वयस्क,
4– लीलावती पुत्री स्व. सबलसिंह, आयु– वयस्क,
5– गुलाब कुंवर पुत्री स्व. सबलसिंह, आयु– वयस्क,
जातिगण– राजपुरोहित, निवासीगण– मादा, तहसील– देसूरी, जिला– पाली (राज0)

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थीगण :–

1– भूमिधारी जरिये तहसीलदार, देसूरी,
2– डाउसिंह पुत्र भगवतसिंह, जाति– पुरोहित, आयु– वयस्क, निवासी– मादा, तहसील– देसूरी, जिला– पाली (राज0)

–: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राज0 भू–राजस्व अधि0 :–

उपस्थिति–

1– प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री एम.ए.कलाम एवं रमेश कुमार।
2– अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से सरकारी पैरोकार।
3– अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से वकील श्री दिनेश कुमार माली।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:23:08 IST
Reason: SelfAttested

–: निर्णय :– दिनांक–28/06/2022

प्रकरण हाजा के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि– प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा– 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के

––क्रमशः पेज– 2 पर.......

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

तहत एक प्रार्थना–इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि– प्रार्थी ने ग्राम मादा के ही काश्तकार श्री डाउसिंह पुत्र भगवतसिंह पुरोहित से दिनांक– 14/10/2002 को जरिये विनिमय विलेख (दस्तावेज अदला बदली) के तहत प्रार्थी के नाम मौजा सरहद ग्राम मादा में स्थित काश्त सुदा कृषि भूमि जिसके खसरा नम्बर– 138 क्षेत्रफल– 0.55 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल लगान रूपयां– 3.85 होते है उसे विनिमय विलेख के तहत श्री डाउसिंह पुत्र भगवतसिंहजी पुरोहित के नाम मौजा सरहद ग्राम मादा मे स्थित काश्त सुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर– 162 रकबा– 2.64 हैक्टटर किस्म चाही प्रथम जाव लगान रूपयां 65.64 मे से 1/8 वां हिस्सा सम्पूर्ण अदला बदली (विनिमय) के तहत अन्तरण एक दूसरे के पक्ष में करना तय कर दिया है, जिसकी रजिस्ट्री की फोटू प्रति वास्ते सबूत साथ सलंग्न है। प्रार्थी ने अपने हक हिस्से की कृषि भूमि खसरा नम्बर 138 रकबा– 0.55 है एवं डाउसिंह ने अपने हक हिस्से की कृषि भूमि खसरा नम्बर– 162 रकबा– 2.64 है मे से 1/8 वां हिस्सा यानि 0.33 हैक्टर सम्पूर्ण प्रार्थी के नाम कर दिया है एवं विनिमय विलेख दस्तावेज के पेज 4 की द्वितीय लाईन मे लिखा है कि " 1/8 हिस्से यानि इनके सम्पूर्ण बंट व हिस्से के एक मात्र खातेदार प्रार्थी को गया है। आगे यह भी लिखा है कि "इस आराजी पर जो हक अधिकार खातेदारी, इजमेनट इम्प्रूवमेन्ट, धोरा–पाली, रास्ता, दरखत आदि जो डाउसिंह को अधिकार प्राप्त थे वो तमाम अधिकार प्रार्थी को प्राप्त हो गये है।" अब डाउसिंह का इसमे कोई हक अधिकार शेष नहीं रहा है। इस अदलाबदली (विनिमय) के फलस्वरूप नामान्तरकरण राजस्व अभिलेख मे पक्षकारान करवा लेगे, जिसमे किसी पक्षकार को किसी प्रकार से कोई उज्र एतराज नही होगा अपितु इस हेतु बयानो की आवश्यकता होने पर इस विलेख की ताईद मे देने हेतु पक्षकार जिम्मेदार एवं पाबंद्ध रहेगे।" ऐसी सूरत मे खसरा नम्बर– 162/1951 रकबा– 0.11 हैक्टर भूमि मे जो रास्ता की भूमि है, जिसमे सेवन से डाउसिंह पुत्र भगवतसिंह का नाम रह गया है। जबकि खसरा नम्बर– 162 मे 1/8 वां हिस्सा डाउसिंह द्वारा प्रार्थी को दे देने के बाद कोई भूमि शेष नहीं रही है, मात्र रास्ता का खसरा नम्बर– 162/1951 में नाम दर्ज है, उसे डिलिट करना अत्यन्त आवश्यक हो गया है, जिसकी [illegible] की फोटू प्रति वास्ते सबूत साथ सलंग्न है। उपरोक्त तथ्यो एवं दस्ता[illegible] (अदला–बदली) एवं रास्ते की भूमि 162/1951 का सरसरी [illegible] से स्पष्ट है कि

——क्रमशः पेज– 3 पर........

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:23:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

राजस्व रेकर्ड मे माफिक अदला—बदली (विनिमय) दस्तावेज अनुसार नामांतरकरण सही इन्द्राज नही हो पाया है, जिससे प्रार्थी द्वारा यह आवेदन—पत्र बाबत दुरूस्ती रेकर्ड के अन्तर्गत धारा— 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत आने से उक्त वाद प्रस्तुत है। एवं प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी व डाउसिंह पुत्र भगवतसिंह ने अपने हक हिस्से की सम्पूर्ण भूमि अदला—बदली मे दे देने पर गलती से मात्र राजस्व रेकर्ड मे रास्ता की भूमि खसरा नम्बर— 162/1951 रकबा— 0.11 हैक्टर भूमि मे से नाम रह जाने से डिलिट करवाकर प्रार्थी के नाम उक्त हक हिस्से का नाम राजस्व रेकर्ड मे अगल दरामद कराये जाने का आदेश प्रदान कराने का हुक्म फरमावे।

प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या—1 की ओर से इस प्रकार जबाब प्रस्तुत किया गया कि— 1— यह है कि प्रार्थना—पत्र का पैरा संख्या—1 प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे। प्रार्थना—पत्र का पैरा संख्या—2 प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे। प्रार्थना—पत्र का पैरा संख्या—3 प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे। प्रार्थना—पत्र का पैरा संख्या—4 मे निवेदन है कि पंजीयन सुदा विनिमय विलेख के आधार से ग्राम मादा का नामा0 संख्या 333 विनिमय विलेख अनुसार पटवारी हल्का द्वारा नामा0 सं0— 333 दिनांक— 24/10/02 को दर्ज कर दिनांक— 8/11/02 को सरपंच ग्राम पंचायत मादा द्वारा स्वीकृत किया है। अतः पैरा अस्वीकार है। प्रार्थना—पत्र का पैरा संख्या—5 प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे। प्रार्थना—पत्र का पैरा सं0— 6, 7 एवं 8 कानूनी है। जो शामिल मिसल किया गया एवं अप्रार्थी संख्या—2 की ओर से जबाब प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह उजर लिया कि प्रार्थी ने मनमाफिक और गलत अर्थ निकालते हुए दस्तावेज के संसबंध मे कथन किये गये है, जो अस्वीकार है। खसरा संख्या 162/1951 क्षेत्रफल— 0.11 हैक्टर वक्त सेटलमेंट से ही अलग है, खसरा संख्या— 162 और खसरा संख्या 162/1951 का क्षेत्रफल ही अलग अलग है, दोनो खसरो को नक्शे मे भी अलग अलग दर्शाया गया है। अप्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी हक अधिकार की कृषि भूमि खसरा संख्या 162/1951 को कभी भी किसी प्रकार से प्रार्थी को नही दी और ना ही विनियम विलेख का भाग ही है। खसरा संख्या 162/1951 की भूमि रास्ता की भूमि नही है, इस खसरे की किस्म गै.मुमकिन है जो कृषि से भिन्न [illegible] कृषि भूमि है। जिस पर प्रार्थी का पुराना टयुबवेल खोदा हुआ [illegible] हुआ है, मशीनी घर बना हुआ है, टयूबवेल से पानी की पाईप लाईन खसरा संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:23:08 IST
Reason: SelfAttested

—क्रमशः पेज— 4 पर........

सहायक कलेक्टर
(एस. डी. ओ.) देसूरी (पाली)

138 तक ले जाई गई है जिसकी जानकारी प्रार्थी को प्रारम्भ से ही है। इतना ही नही प्रार्थी ने अप्रार्थी के द्वारा खसरा संख्या– 162/1951 की भूमि मे से खसरा संख्या 160, 161 की भूमि के पास मे ही खसरा संख्या 162 के लगते हुए खोदे गये बोरिंग पर विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन करने के बाद सहखातेदार की सहमति ली गई थी जिसमे अमरसिंह के साथ ही प्रार्थी स्वयं द्वारा भी लिखित मे स्टाम्प पर सहमति दी थी, जो स्टाम्प नोटेरी पब्लिक देसूरी महेन्द्र शर्मा द्वारा दिनांक– 15/10/2008 को प्रमाणित किया गया है, जिसमे पहचान एडवोकेट डीएस पुरोहित की है। इस प्रकार प्रार्थी स्वयं को प्रारम्भ से ही ज्ञान और जानकारी में तथा प्रार्थी की अनुमति और सहमति से खसरा संख्या– 162/1951 की भूमि मे टयुबवेल, मशीनघर, विद्युत कनेक्शन और भूमिगत पाईप लाईन वर्ष 2008 से लगातार स्थित होने से प्रार्थी विबंधित है, प्रार्थी को अप्रार्थी की खातेदारी विलोपित कराने का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नही है ना ही खसरा संख्या– 162/1951 की भूमि विनियम विलेख का भाग ही रही है। खसरा संख्या 162/1951 वक्त सेटलमेंट और पूर्व मे कभी भी रास्ता के रूप मे दर्ज नही रही है नदी के पास होने से इस खसरा संख्या– 162/1951 की भूमि मे मिठे पानी की संभावना रहने से गैर मुमकिन रखी गई थी, जिसमे अप्रार्थी द्वारा सही सहखातेदारान की सहमति अनुमति और ज्ञान जानकारी मे बोरिंग लगवाकर विद्युत कनेक्शन लेने के बाद वर्ष 2008 से लगातार भूमिगत पाईप लाईन से सिंचाई का कार्य अप्रार्थी द्वारा किया जा रहा है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र किसी प्रकार से परिपोषणीय नही है। धारा– 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधान दौराने भू प्रबन्ध कार्यवाही मे रही किसी भी अशुद्धि को दुरस्त करने की अनुमति प्रदान करती है। लेकिन प्रार्थी ने गलत रूपेण विनिमय विलेख मे अशुद्धि को दुरूस्त करने का प्रार्थना–पत्र पेश किया है जो परिपोषणीय नही है। अप्रार्थी के खातेदारी की कृषि भूमि 162/1951 किसी प्रकार से विनिमय विलेख का भाग नही रही है। प्रार्थी को प्रारम्भ से ही ज्ञान और जानकारी मे है कि खसरा संख्या 138 की भूमि कम उपजाउ और खारच है जहां पानी भी खारा निकलता है इसलिये अप्रार्थी का खसरा संख्या 162/1951 की कृषि भूमि प्रारम्भ से हक अधिकार निहित है जिसे किसी प्रकार से विनिमय नही किया गया है। अतः जबाब प्रस्तुत कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन किया गया, जो शामिल मिसल किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:23:08 IST
Reason: SelfAttested

——क्रमशः पेज– 5 पर........

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

बहस वकुलाय उभय पक्षकार सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया एवं वकील प्रार्थी द्वारा अपने जबाब के तथ्यो को दौहराते हुए विशेष तर्क दिया कि खसरा संख्या– 162/1951 के 1/8 हिस्से का अप्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है, जो इसके अधिकार अभिलेख जमाबंदी से स्पष्ट है एवं यह खसरा संख्या– 162/1951 कथित विनिमय विलेख मे अंकित नही है एवं नही इस खसरा के हक हिस्सो का किसी प्रकार से कभी विनिमय ही किया गया है प्रार्थी अप्रार्थी संख्या–2 की खातेदारी विलेपित करवा कर उसे खातेदार दर्ज कराना चाहता है, जो धारा– 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की परिधि मे नही आता है एवं वकील अप्रार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 2011(1) आरआरटी–67 प्रस्तुत किया एवं प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र कानूनन परिपोषण्रीय नही होने से अस्वीकार कर सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया एवं संबंधित विधि का अध्ययन किया गया। प्रार्थी द्वारा जो विनिमय विलेख की प्रति प्रस्तुत की गई है, का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट पाया जाता है कि खसरा संख्या– 138 रकबा– 0.55 हैक्टर एवं खसरा संख्या– 162 क्षेत्रफल– 2.64 हैक्टर के 1/8 वां हिस्से का विनिमय उक्त दस्तावेज के जरिये किया गया है, जिसमे खसरा संख्या– 162/1951 रकबा– 0.11 हैक्टर का कोई उल्लेख नही है, जिससे उक्त विनिमय विलेख खसरा संख्या– 162/1951 रकबा– 0.11 हैक्टर के संबंध मे होना नही पाया जाता है एवं पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी की प्रति अनुसार खसरा संख्या– 162/1951 का पृथक खाता है, जो प्रार्थी सबलहिसंह एवं अप्रार्थी संख्या–2 एवं दीगर सह खातेदारी के संयुक्त खातेदारी का है, जिसमे प्रार्थी सबलसिंह का 1/8 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या–2 डाउसिंह की खातेदारी का 1/8 हिस्सा विद्यमान होना पाया जाता है एवं पत्रावली पर उपलब्ध उक्त आराजी के सह खातेदार प्रार्थी सबलसिंह एवं अमरसिंह द्वारा अप्रार्थी डाउसिंह द्वारा बेरा पर विद्युत संबंध लेने हेतू सहमती–पत्र की प्रति से [illegible] है। प्रार्थी खसरा संख्या–162/1951 रकबा– 0.11 हैक्टर मे विद्यमान अप्रार्थी [illegible] डाउसिंह के खातेदारी हक अधिकारो को विलोपित एवं [illegible] प्रार्थी अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने [illegible] जबकि इस प्रकार का अनुतोष

——क्रमशः पेज– 6 पर........

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:23:08 IST
Reason: SelfAttested

धारा– 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कानूनन प्रदत्त नही किया जा सकता है। धारा– 136 का क्षेत्राधिकार समिति है, जिसके तहत केवल मात्र ऐसी इन्द्राज की लिपिकीय त्रुटि जिसे दोनो पक्ष होना स्वीकार करे मात्र उसे ही इन्द्राज दुरूस्ती के तहत दुरूस्त किया जा सकता है धारा– 136 के प्रावधानो के तहत खातेदारी अधिकार प्रदत्त नही किये जा सकते न ही विलोपित किये जा सकते है एवं प्रार्थी यह साबित कराने मे असफल रहा है कि किस प्रकार कोई इन्द्राज की लिपिकीय त्रुटि हुई है, जिसे सुधारा जा सके। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नही होते है। उपरोक्त विवेचन मे मेरी सुविचारित राय मे प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र हस्ब धारा– 136 राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 के प्रावधानो के तहत नही आने से कानूनन पोषणीय नही होने से स्वीकार योग्य नही होकर काबिल खारिज के है।

–: आदेश :–

अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र हस्ब धारा– 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पोषणीय नही होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) देसूरी

निर्णय आदेश आज दिनांक 28/06/2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:23:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) देसूरी (पाली)